F. No. W-02/0003/2014-DPE (WC) - G. L - XVII / 14
Government of India

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhawan Block 14, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 Dated: 9th October, 2014

## **OFFICE MEMORANDUM**

Subject:-

Payment of DA to Board level/below Board level executives and non-unionized supervisors following IDA scales of pay in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on 1987 and 1992 basis.

.....

The undersigned is directed to refer to para No. 3 of this Department's O.M. No. 2(50)/86-DPE (WC) dated 19.07.1995 wherein the rates of DA payable to the executives holding Board level post have been indicated. In accordance with the DA scheme spelt out in Annexure-II of the said O.M, the installments of DA become payable from 1<sup>st</sup> January, 1<sup>st</sup> April, 1<sup>st</sup> July, 1<sup>st</sup> October, every year based on the price increase above quarterly Index average of 1099 (1960=100).

2. In continuation of this Department's O.M. of even No. dated 03.07.2014, the rates of DA payable to the executives of CPSEs holding Board level post, below Board level post and non-unionised supervisors following IDA pattern of 1992 pay scales may be modified as follows:-

(a) Date from which payable: 01.10.2014

(b) AICPI (Linked to 1960=100) for the quarter

June, 2014 5615 July, 2014 5753 August, 2014 5773 Average of the quarter 5714

(c) Increase over link point: 4615 (5714-1099)

(d) % increase over link point: 419.9% (4615/1099\*100=419.9%)

#### DA Rates for various Pay Ranges

Basic Pay per Month	DA Rates
Upto Rs. 3500	419.9% of pay subject to minimum of Rs. 9230/-
Above Rs 3500 and Upto Rs. 6500	314.9% of pay subject to minimum of Rs. 14697/-
Above Rs 6500 and Upto Rs. 9500	251.9% of pay subject to minimum of Rs. 20469/-
Above Rs 9500	209.9% of pay subject to minimum of Rs. 23931/-

- 3. The payment on account of dearness allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
- 4. The quantum of IDA payable from 01.10.2014 at the old system of neutralization @ Rs. 2.00 per point shift for increase of 197 points may be Rs. 394/- and at AICPI 5714 DA payable may be Rs. 10017.75 to the executives holding Board level post, below Board level post and non-unionised supervisors following IDA pattern in the CPSEs of 1987 pay scales.
- 5. All administrative Ministries/Department of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

(Samsul Haque) Under Secretary

Susque

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

### Copy to:

- 1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
- 2. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
- 3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
- 4. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
- 5. NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.

(Samsul Haque) Under Secretary

# सं. डब्ल्यू.–02/0003/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-XVII/14 भारत सरकार भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय लोक उद्यम विभाग

\*\*\*\*

लोक उद्योग भवन, ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003 दिनांक : 09 अक्तूबर, 2014

## कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 तथा वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के/ उस स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-लोउवि (मजूरी कक्ष) के पैरा 3 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-॥ में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार त्रैमासिक औसत सूचकांक 1099(1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर से देय हो जाती हैं।

- 2. इस विभाग के दिनांक 03.07.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या अनुक्रम में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मंडल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-
- (क) जिस तारीख से देय है 01.10.2014
- (ख) तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संबंधित 1960 =100)

जून, 2014 5615 जुलाई, 2014 5753 अगस्त, 2014 5773 तिमाही का औसत 5714

- (ग) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 4615 (5714-1099)
- (घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में %वृद्धि अंक : 419.9% (4615/1099\*100=419.9%)

# विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ता की दरें

वेतन सीमा प्रतिमाह	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
3500/- रुपए तक	वेतन का 419.9% परन्तु न्यूनतम 9230/- रुपए
3500/- रुपए से अधिक तथा 6500/- रुपए तक	वेतन का 314.9% परन्तु न्यूनतम 14697/-रुपए
6500/-रुपए से अधिक तथा 9500/- रुपए तक	वेतन का 251.9% परन्तु न्यूनतम 20469/- रुपए
9500/- रुपए से अधिक	वेतन का 209% परन्तु न्यूनतम 23931/- रुपए

- 3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए ।
- 4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.10.2014 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि निष्प्रभावन की पुरानी प्रणाली के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की कमी की दर से 197 अंकों की वृद्धि के लिए 394/- रुपए तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5714 पर महंगाई भत्ता 10017.75 रुपए देय होगा।
- 5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाने का अनुरोध किया जाता है।

2-दिन्ता . (समसुल हक) अवर सचिव

सेवा में.

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

## प्रतिलिपि प्रेषित:-

- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
- 2. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
- 3. व्यय विभाग स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
- 5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

२६५४), (समसुल हक) अवर सचिव